बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि २७ नवम्बर १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short-Notice Questions and Answers.

श्री दिगम्बर ठाकुर को फ्री बेड की व्यवस्था।

अ–१३९। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री दिगम्बर ठाकुर, ग्राम गंधवार, थाना मधुबनी, जिला दरभंगा, ने १ जून १९५६ को इस आशय का आवेदन-पत्र दिया था कि उन्हें राजनीतिक पीड़ित कोष से इटकी सैनिटोरियम में फ्री बेड मिले;

(२) क्या यह बात सही है कि डाइरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, बिहार, पटना को १२ अगस्त १९५६ तथा चिकित्सा मंत्री, बिहार सरकार, पटना को ९ जून १९५७ को इटकी सैनिटोरियम में फ्री बेड देने के सिलसिले में प्राथमिकता प्रदान करने के हेतु श्री दिगम्बर ठाकुर ने आवेदन-पत्र भेजा था;

(३) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता ने उक्त राजयक्ष्मा पीड़ित देश प्रेमी के संबंध में स्वयं अपने हाथों चिकित्सा मंत्री, बिहार सरकार, पटना को भी इस आशय का पत्र दिया था कि उन्हें फ्री बेड देने में प्राथमिकता दी जाय;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उन्हें अबतक फ्री बेड देने में विलम्ब क्यों हो रहा है और कब तक सरकार उनके लिए व्यवस्था करने को सोचती है?

*रानी ज्योतिर्मयी देवी—(१), (२) तथा (३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) इटकी सैनेटोरियम में कुल आठ शय्या राजनीतिक पीड़ित यक्ष्मा रोगियों के लिये सुरक्षित हैं तथा वर्त्तमान समय में उन शय्यों पर राजनीतिक पीड़ित यक्ष्मा रोगी ही निःशुल्क चिकित्सा पा रहे हैं। अभी इस कोटा के प्रतिक्षालय सूची में श्री दिगम्बर ठाकुर के ऊपर रहनेवाले तीन रोगियों के मुफ्त शय्या मिलने के बाद ही उन्हें फ्री बेड प्रदान किया जायगा। इसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता को स्वास्थ्य निर्देशकालय के पत्र संख्या ३०३५४, तिथि ११ अक्तूबर १९५७ द्वारा भेज दी गयी है।

श्री दिगम्बर ठाकुर को अभी तक फ्री बेड नहीं दिया गया है फिर भी उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके थोराकोप्लासटी आपरेशन के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रबन्ध किया तथा उन्हें ६० रुपए दान कोष से दिया।

अ—प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री देवेन्द्र झा के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

श्री राधा नन्दन झा—पुलिस इस बात की इनक्वायरी करेगी कि चोरी किसने की है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिसकी निगरानी में वह लड़का था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ?

रानी ज्योतिर्मयी देवी—पुलिस की जांच के बाद इसकी जांच की जायगी ।

श्री राधा नन्दन झा—क्या यह बात सही है कि एक साल पहले एक नवजात शिशु को एक कुत्ता ले गया था ?

रानी ज्योतिर्मयी देवी—इसके लिए सूचना दीजिये ।

श्री राधा नन्दन झा—क्या यह बात सही है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज का यह रवैया रहा है कि कोई लड़का पैदा होता है तो उसे कोई चुरा कर ले जाता है ?

(उत्तर नहीं मिला)

तारापुर में अस्पताल की आवश्यकता ।

१६३। श्री बासुकी नाथ राय—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या मुंगेर जिले में तारापुर थाने के हेडक्वार्टर में सरकार की तरफ से कोई भी चिकित्सालय नहीं है, यदि हां, तो क्या वहां के लोगों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ;

(२) क्या यह बात सही है कि ग्यारह मील दक्षिण संग्रामपुर और ५ मील उत्तर असरगंज अस्पताल पड़ता है जिससे दूर रहने के कारण अरजेंट केस में जनता को बहुत ही परीशानी उठानी पड़ती है ;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस पर विचार करना चाहती है ?

रानी ज्योतिर्मयी देवी—(१) तथा (२) यद्यपि तारापुर में अस्पताल नहीं है तो भी उसके निकटतम जमालाबाद तथा डुमरी में जो वहां से करीब ५ मील की दूरी पर है और इन दोनों स्थानों के बीच आने-जाने का रास्ता अच्छा है, वहां औषधालय है । आर्थिक संकट के कारण सरकार वहां अभी औषधालय खोलने में असमर्थ है ।

(३) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

*श्री बासुकी नाथ राय—क्या सरकार को यह खबर है कि तारापुर थाने का हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर होने के कारण वहां अस्पताल की आवश्यकता है लेकिन सरकार बताती है कि आर्थिक संकट के कारण अभी वहां अस्पताल नहीं बना सकते हैं तो क्या सरकार चाहती है कि वहां के लोग मर जायं और उनकी दवा-दारू न हो ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री भोला नाथ भगत—क्या सरकार के पास कोई ऐसी नीति है कि ५ या १० माइल की दूरी पर अस्पताल खोलना चाहिये ?

रानी ज्योतिर्मयी देवी—ऐसी कोई खास नीति नहीं है। तारापुर में जल्द ही ब्लौक खोला जायगा।

बीज के गल्ले की व्यवस्था।

१६५। श्री सभापति सिंह—क्या मंत्री, विकास (कृषि) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिलान्तर्गत बसन्तपुर थाने के बसन्तपुर तथा भगवानपुर अंचल में गेहूं का बीज बिलकुल नहीं दिया गया है ;

(२) क्या यह बात सही है कि गोरयाकोठी अंचल में गेहूं के बीज के तीन दूकानदार हैं और उस अंचल में बीज दिया गया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज सबडिवीजन में ग्राम-पंचायत के मुखिया तथा सहयोग समिति के मंत्री को बिना दाम लिये गेहूं का बीज बांटने के लिये दिया गया है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो थाने के दो अंचल में बीज नहीं देने का क्या कारण है और गोपालगंज के ऐसा सिवान सबडिवीजन में पंचायत और सहयोग समिति को बिना दाम जमा कराये गल्ला नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री अब्दुल अहद मुहम्मद नूर—(१) उत्तर नकारात्मक है। ६०० मन गेहूं का बीज बसन्तपुर में और ६०० मन गेहूं का बीज भगवानपुर अंचल में भेज दिया गया है लेकिन यह उठाया नहीं गया है। उन अंचलों के लिये बांटनेवालों ने चना का बीज तो वितरण किया, लेकिन गेहूं का बीज किसी ने नहीं उठाया।

(२) गोरैयाकोठी के अंचल में तीन नहीं बल्कि चार दूकानें हैं। इस अंचल में भी ६०० मन गेहूं का बीज मिला था।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है। बीज उधार दिया गया है। मुखिया या सहयोग समिति द्वारा बीज का दाम बाद में जमा कर दिया गया।

(४) प्रश्न के प्रथम खंड का उत्तर प्रश्न के खंड (१) में दिया गया उत्तर के कारण नहीं उठता है। सीवान सबडिवीजन में भी उधार गेहूं के बीज की मांग हुई, जहां-जहां मांग हुई, वहां-वहां दिया गया। गुठनी सहयोग समिति ने मांग की और उसे उधार गेहूं का बीज मिला।

*श्री सभापति सिंह—क्या सरकार बताएगी कि ६०० मन गेहूं का बीज बसन्तपुर में और ६०० मन गेहूं का बीज भगवानपुर में कब एलौट हुआ ?